an>

Title: Need to review the Santhal Pargana Tenancy Act.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) ः मैं सरकार का ध्यान संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह एक्ट झारखण्ड के छः जिलों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा जिलों में लागू किया गया है। इस एक्ट को इस उद्देश्य से लाया गया, जिससे संथाल परगना के जनजाति लोग अपनी भूमि को संरक्षण अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकें। यह एक्ट पूथम बार अंग्रेजों के समय 1885 में लागू किया गया। इस एक्ट के लिए संथाल परगना के कई आदिवासी लोगों द्वारा आन्दोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। इस आंदोलन के प्रेणता कान्हू मरमू को फाँसी हुई थी। इस संबंध में हर साल 30 जून को "हूल दिवस " मनाया जाता है। यह एक पुराना कानून है और इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, परंतु सरकार को खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस आंदोलन का लाभ संथाल परगना को अभी तक नहीं मिला है। इस आंदोलन को राजनैतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कानून को समुचित ढंग से लागू भी नहीं किया जा रहा है। मनमाने ढंग से कई एजेन्सियों ने केन्दू को संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट पर मिसगाइड किया है।

सरकार से अनुरोध है कि संथाल परगना पर जो संशोधन कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए निर्धारित समुचित नियमानुसार प्रणाली का उपयोग किया जाए, जो वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। साथ ही साथ, मैं इस एक्ट की समीक्षा करने की अनुशंसा करता हूँ।